न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 09 / 2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

1. आवंटी रामचन्द्र पुत्र पन्नालाल कोम कुम्हार (मृतक)
2. रामप्रताप पुत्र रामचन्द्र (मृतक)

2/1 धनराज पुत्र रामप्रताप
2/2 हरिओम पुत्र रामप्रताप
2/3 सूर्यप्रकाश पुत्र रामप्रताप
2/4 सीमा पुत्री रामप्रताप
2/5 पुष्पाबाई बेवा रामप्रताप

3. मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र
4. बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र
5. लटूरलाल पुत्र रामचन्द्र
6. बजरंगलाल पुत्र रामचन्द्र
7. लेखराज पुत्र रामचन्द्र
8. हंसराज पुत्र रामचन्द्र
9. रघुनाथी पुत्री रामचन्द्र
10. नन्दूबाई पुत्री रामचन्द्र
11. केदार बाई बेवा रामचन्द्र जातिगण कुम्हार, निवासीगण माथना, तहसील बारां (राज0)

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री जयेश सक्सेना अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक– 18.08.2023

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण कम 2 ता 11 के खाते विवादित आराजी ख0नं0 992 रकबा 0.16 है. किस्म नहरी I वाके ग्राम माथना तह[illegible]बन्दी सम्वत् 2066–69 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि [illegible]–24 में मूल खसरा नंबर 556 मि. रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन [illegible] 556 मि. रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तल[illegible] रकबा 0.16 है. किस्म नहरी I कायम किये जाकर उक्त भूमि अवैधानिक रूप से रामचन्द्र [illegible] पन्नालाल कोम कु[illegible]वासी माथना के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमा[illegible]ी संवत 2066–69 अ[illegible]कम 2 ता 11 के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:08 IST
Reason: SelfAttested

अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि वाके माल माथना तहसील बारां की आराजी खसरा नंबर 992 रकबा 0.16 है0 आराजी रामचन्द्र वल्द पन्नालाल कुम्हार निवासी माथना तहसील बारां जिला बारां को भूमिहीन होने के कारण सन 1977 में आवंटन हुयी थी, तथा उक्त आराजी आवंटन होने के बाद रामचन्द्र के खाते दर्ज हो गयी थी, तथा रामचन्द्र की मृत्यु के बाद से आज तक उक्त आराजी पर हम अप्रार्थीगण ही खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे है, तथा उक्त आराजी के आस पास भी खेती होती चली आ रही है। इस एक आराजी में प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में 10 सदस्यों का नाम है, तथा राजस्व रेकार्ड में किस्म गलत दर्ज कर दिया है। तहसीलदार बारां को भी इस कार्यवाही का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। रामप्रताप का स्वर्गवास दिनांक 02.03.2015 को एवं रघुनाथीबाई का स्वर्गवास दिनांक 10.10.2009 को हो चुका है, तथा रामप्रताप के वारिसान धनराज, हरओम, सूर्यप्रकाश, पुष्पाबाई बेवा व सीमाबाई पुत्री है, एवं रघुनाथी बाई के वारिसान हेमराज, कन्हैयालाल पुत्रगण है। प्रार्थी के पास इस आराजी के अलावा अपने जीविकोपार्जन हेतु कोई अन्य आराजी नही है, तथा भूमिहीन कुम्हार जाति के सदस्य है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व उक्त कार्यवाही निरस्त फरमावें।

3– उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में मूल खसरा नंबर 556 मि. रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख0नं0 992 रकबा 0.16 है. कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म नहरी ा कायम कर अवैधानिक रूप से रामचन्द्र पुत्र पन्नालाल कोम कुम्हार निवासी माथना के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2066–69 अप्रार्थी कम 2 ता 11 के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:08 IST
Reason: SelfAttested

4– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी रामचन्द्र वल्द पन्नालाल कुम्हार निवासी माथना तहसील बारां जिला बारां को भूमिहीन होने के कारण सन 1977 में आवंटन हुयी थी, तब से अपने जीवनकाल

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जिला कलेक्टर

में रामचन्द्र तथा उसकी मृत्यु के बाद से अप्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज काश्त हैं। उक्त आराजी के आस पास भी खेती होती चली आ रही है। प्रार्थी को इस कार्यवाही का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थीगण के पास इस आराजी के अलावा अपने जीविकोपार्जन हेतु कोई अन्य आराजी नही है, तथा भूमिहीन कुम्हार जाति के सदस्य है। मौके पर भूमि समतल तथा कृषि योग्य है तथा वहां पर तलाई का कोई नामोनिशान मौजूद नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

5— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015—24 अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम माथना खसरा नंबर 556 मि. रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका रामचन्द्र पुत्र पन्नालाल कौम कुम्हार निवासी माथना को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038—57 नये खसरा नम्बर 992 रकबा 0.16 है. किस्म नहरी I बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण क्रम 2 ता 11 के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार रामचन्द्र पुत्र पन्नालाल कौम कुम्हार निवासी माथना को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। रामचन्द्र पुत्र पन्नालाल कौम कुम्हार निवासी माथना को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

6— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण क्रम 2 ता 11 के वर्तमान में वाके ग्राम माथना में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 992 रकबा 0.16 है. किस्म नहरी I जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा 556 मि. रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका रामचन्द्र पुत्र पन्नालाल कौम कुम्हार निवासी माथना को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:08 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 18.08.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज.)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज.)